ई–मेल
संख्या–785/आठ–3–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनॉकः 10 अप्रैल, 2023

**विषयः–उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने संबंधी।**

**महोदय,**

वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर इकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अधिसूचना संख्या–4/2021/1792/78–2–2020/254 एल.सी./2019 दिनांक 28.01.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 एवं अधिसूचना संख्या–1399/78–2–2022/10(एम)/2021 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति, 2021 जारी की गयी है। आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–22/2021/1274/78–2–2020/254 एल.सी./2019 दिनांक 23.09.2021 द्वरा नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के प्रस्तर 3(iv) में व्यवस्था है कि नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित गैर वित्तीय प्रोत्साहन पावती–पत्र निर्गत होने के बाद लागू होंगे। नीति के प्रस्तर–6.1 डाटा सेन्टर पार्क, प्रस्तर–6.2 डाटा सेन्टर इकाई एवं प्रस्तर–8.3 भवन मान दण्डों में विशेष प्राविधान' के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था हैं :–

प्रस्तर–6.1 **डाटा सेन्टर पार्कः** डाटा सेन्टर इकाई (यों) की स्थापनार्थ न्यूनतम 40 मेगावॉट डाटा सेन्टर क्षमता को डाटा सेन्टर पार्क की परिभाषा के अन्तर्गत स्वीकार किया जाएगा।

प्रस्तर–6.2 **डाटा सेन्टर इकाईः** एक डाटा सेन्टर इकाई (>2 मेगावॉट तथा <40 मेगावॉट क्षमता) एक भवन/केन्द्रिकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहां पर कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्किंग उपकरण वृहद परिमाण में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उददेश्य से संग्रहित हैं। इस नीति के अन्तर्गत कैप्टिव डाटा सेन्टर्स पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रस्तर–8.3 **भवन निर्माण मान दण्डों में विशेष प्राविधानः–**

"(i) **सब–लीजिंग** : डाटा सेन्टर पार्क्स को बिना किसी सब–लीज/हस्तान्तरण शुल्क के इकाइयों/एसपीवी को भूमि/भवन को सब–लीज करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) **फ्लोर एरिया रेशियो** : डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाइयों को 3.0+1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जाएगी। भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजल जनरेटिंग सेट्स हेतु उपयोग किए जा रहे स्थान को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नही माना जाएगा। डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना के लिये आवश्यक अतिरिक्त स्थान प्रदान किये जाने हेतु, अनुमन्य फ्लोर एरिया रेशियो से पृथक व अतिरिक्त, भवन उपनियमों में प्रदत्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा 40 प्रतिशत तक बढ़ायी जायेगी। तथापि प्राधिकरण के भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों के अनुपालन पर विचार करते समय डाटा सेन्टर पार्क/इकाई को डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु फ्लोर एरिया रेशियो के उपयोग का विकल्प होगा, जिससे उनके द्वारा न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों का अनुपालन किया जा सके एवं यथा प्राविधानित अतिरिक्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो का लाभ बाद में उठाया जा सके।

**आंशिक पूर्णताः** डाटा सेन्टर पार्क्स अपने अध्यासन प्रयोजनों तथा व्यवसायिक परिचालन के लिये न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों को पूरा किये विना सम्बन्धित प्राधिकरण से आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति हेतु पात्र होंगे, जोकि सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे।

(iii) **एक मँजिल में फर्श से छत की ऊँचाई** : यदि मेजनाइन (Mezzanine) सेन्टर फ्लोर नहीं है तथा समग्र ऊँचाई सम्बन्धी नियमों और उपयुक्त संरचनात्मक एवं अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया गया है तो फर्श से छत की ऊँचाई समबन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iv) **रूफटॉप पर चिलर्स की स्थापना** : संरचनात्मक सुरक्षा तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति के अधीन, बिना फ्लोर एरिया रेशियो में सम्मिलित किए हुए चिलर्स की स्थापना छत पर की जा सकती है।

(v) **पार्किंग शिथिलता** : खुले में पार्किंग उपलब्ध कराने के प्रतिबन्ध सहित, डाटा सेन्टर पार्क/इकाइयों के लिए पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता कुल निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होगी। यदि भूमि का उपयोग डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो पार्किंग सम्बन्धी इन शिथिलताओं को निरस्त कर दिया जायेगा। डाटा सेन्टर पार्क/इकाइयों द्वारा अनुमानित यातायात का एक वचन–पत्र प्रदान किया जायेगा तथा यातायात में वृद्धि के कारण आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पार्किंग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सम्बन्धित प्राधिकारियों को संसूचित की जायेगी।

(vi) **चहारदीवारी** : डाटा सेन्टर पार्क/इकाइयों को 3.6 मीटर ऊँची तक चहारदीवारी तथा 600 मिमी 'Y' खुले आकार की बाड़ लगाने की अनुमति होगी।

(vii) **भवन में वातायन** : डाटा सेन्टर पार्क/इकाइयों को भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन तथा परिसर के अन्दर आधुनिक अग्निशमन उपकरण रखने के प्रतिबन्ध सहित न्यूनतम संख्या में खिड़कियाँ लगाने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) **बहुस्तरीय डी.जी.स्टैकिंगः** अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति के अधीन बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजल जनरेटिंग सेट्स की स्थापना को अनुमति दी जाएगी।

(ix) **भूमि आच्छादनः** डाटा सेन्टर पार्क्स/इकाइयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी। यदि आवंटन के समय पहले से अनुमति नहीं है तो 60 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त भूमि आच्छादन क्रय योग्य आधार पर होगा।"

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अर्ह डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाईयों के भवन मानचित्र की अनुज्ञा देते समय नीति के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–785(1)/आठ–3–2023–तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

(1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(8) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
05.4.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव